

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र- भुनगडा अहीर

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा
69/07

रजू दिनांक
28.03.2007

निर्णय दिनांक
27.06.2018

अनुवांन

1. बुधराम पुत्र भगवाना
2. रामचन्द्र
3. मुरली पुत्रान पांचाराम जाति अहीरान निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर।

:-वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार मुण्डावर, अलवर।

:-प्रतिवादी

2. ओमप्रकाश
3. देशराज पुत्रान बुधराम जाति अहीरान निवासीयान जालावास तहसील मुण्डावर।


:-तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा-इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा-88, 89
राज0 काश्त0 अधि0 1955

-:पर्चा डिक्री:-

दिनांक:- 27.06.2018


वकील वादीगण श्री जगन्नाथ यादव की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 27.06.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-


उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

आराजी ख0न0 14/0.34, 55/0.25, 54/0.24, 11/0.16, 16/0.44, 17/0.77, 25/0.14, 62/0.39 है0 वाके ग्राम भोजपुरी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में से छंगाराम पुत्र भगवाना के नाम को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त विवादित आराजीयात ख0न0 55 रकबा 0.25 है0 में वादी संख्या 1 को 1/2 भाग का व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को संभाग में 1/2 भाग का व ख0न0 14/0.34 है0 में से 1/2 भाग के बाबत पूर्वतः यथावत रखते हुए शेष 1/2 भाग का वादी संख्या 1 को व ख0न0 54/0.24 है0 सम्पूर्ण के वादी संख्या 2 व 3 को संभाग का खातेदार काश्तकार व ख0न0 16/0.44, 17/0.77, 25/0.14, 62/0.39, 11/0.16 है0 के 1/2 भाग में वादी संख्या 2 व 3 को संभाग में तथा वादी संख्या 1 को 1/4 भाग का एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार, हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 27.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


27.06.18
(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)